सम्मानीय न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर कैम्प,सागर

निगरानी 5492/2018/सागर/भू.रा.

विनोद कुमार चौबे पिता स्व. हरगोविन्द चौबे

निवासी शुक्रवारी टौरी सागर .....पुनरीक्षणकर्ता

।। बनाम ।।

म.प्र. शासन .... प्रतिपुनरीक्षणकर्ता

पुनरीक्षण {निगरानी} अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 के तहत

आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता यह आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर महोदय, सागर के प्रकरण क्रमांक 01-अ/वर्ष 2010-11 तहसील सागर के मौजा ग्राम सागर खास के पक्षकार-विनोद कुमार चौबे बनाम म.प्र. शासन में पारित विवादित आदेश दिनांक 01-08-2011 एवं न्यायालय श्रीमान् कमिश्नर महोदय, सागर संभाग, सागर के आदेश दिनांक 15-01-2018 के तारतम्य में पुनरीक्षण /निगरानी प्रस्तुत करने हेतु समय दिये जाने से प्रस्तुत नई अपील प्र.क. 1181 वर्ष 2017-18 में पारित विवादित आदेश दिनांक 16.04.2018 से परिवेदित व दुखी होकर अन्य आधारों के अलावा निम्नलिखित आधारों पर यह पुनरीक्षण/निगरानी अपील याचिका सम्माननीय के समक्ष प्रस्तुत की हैं:-

प्रकरण के तथ्य व पुर्नरीक्षण (निगरानी) याचिका के आधार

1- यह कि प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि, तहसील सागर के मौजा ग्राम सागर खास में आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता की भूमि स्वामी हक्क व मालिकी की भूमि खसरा नंबर 653 रकवा 0.16डिसमिल जमीन स्थित हैं उक्त भूमि आवेदक के नाम पर मौजा ग्राम सागर खास के समस्त राजस्व रिकार्ड में 50 वर्षो से दर्ज चली आ रही है कि विगत दिनांक 06-05-2010 को इस याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति में (एकपक्षीय में) विधि विरुद्ध किये गये गलत

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ
भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5492/2018/सागर/भू0रा0

विनोद कुमार चौबे विरूद्ध म0प्र0 शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07–3–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक अधिवक्ता श्री वासुदेव चन्देल उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। 2/ आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्र0 क0 1181/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 16–4–2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है। 3/ प्रकरण में संलग्न सत्यापित प्रति एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। अपर आयुक्त के आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा कलेक्टर के समक्ष शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया था। कलेक्टर द्वारा यह पाते हुये कि आवेदक द्वारा अपने आवेदन में जो भूमि दर्शायी थी वह नजूल दर्ज है ऐसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा आवेदक का शिकायती आवेदन निरस्त किया। कलेक्टर द्वारा पारित आदेश को अपर आयुक्त ने अपने अपील आदेश में यथावत रखते हुये अपील अग्राह्य की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि प्रथमदृष्टया प्रकट नहीं होती है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (आर0के0 जैन) 07/3/19 सदस्य	